न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए/153/2018

उनवान

1. श्रीमती हेमलता पत्नि रामगोपाल टिकीवाल, निवासी बागोर तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, जिला भीलवाडा
3. सरपंच ग्राम पंचायत बागोर, जरिये ग्रम पंचायत बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व आदेश जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या एफ12–3(2) (57) आरए/2011/4128 दिनांक10.5.2011

अभिभाषक : 1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 18.07.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माण्डल के प्रस्ताव के अनुसार सरंपच ग्राम पंचायत बागोर द्वारा ग्रम बागोर स्थित भूमि आबादी विस्तार हेतु निवेदन करने से तहसीलदार माण्डल की जांच रिपोर्ट के अनुसार बागोर स्थित आराजी नम्बर 2124 रकबा 16.00 बीघा में से 10.00 बीघा, आराजी नम्बर 2132 रकबा 6.13 बीघा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किस्म बंजड को आबादी मे तथा आराजी नम्बर 2135 रकबा 4.05 बीघा, आराजी नम्बर 5701 रकबा 4.12 बीघा में से 2.00 बीघा, आराजी नम्बर 5707 रकबा 5.17 बीघा, आराजी नम्बर 5730 रकबा 2.17 बीघा में से 1.00 बीघा कुल किता 6 रकबा 29.15 बीघा भूमि ग्राम पंचायत बागोर के आबादी विस्तार हेतु प्रस्तावित कर अनुसंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव एवं अभिशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम बागोर आराजी नम्बर 2124 रकबा 16.00 बीघा में से 10.00 बीघा, आराजी नम्बर 2132 रकबा 6.13 बीघा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किस्म बंजड आराजी नम्बर 2135 रकबा 4.05 बीघा, आराजी नम्बर 5701 रकबा 4.12 बीघा में से 2.00 बीघा, आराजी नम्बर 5707 रकबा 5.17 बीघा, आराजी नम्बर 5730 रकबा 2.17 बीघा में से 1.00 बीघा कुल किता 6 रकबा 29.15 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटन की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया एवं न ही अपीलाण्ट को कोई नोटिस ही जारी किया गया था। अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31.3.2018 को सरपंच ग्राम पंचायत बागोर के पति द्वारा दी गई कि अपीलाण्ट के खाते की भूमि का जुज भाग भी ग्राम पंचायत को आवंटित हो गया है। जिससे ग्राम पंचायत अन्य लोगों को शीघ्र ही पट्टे जारी करने वाली है। इस पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया । नकल दिनांक 17.4.2018 को प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः दिनांक 10.5.2011 से 17.4.2018 तक का समय क्षम्य किये जाने का निवेदन किया गया ।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम बागोर आराजी नम्बर 2124 रकबा 16.00 बीघा में से 10.00 बीघा, आराजी नम्बर 2132 रकबा 6.13 बीघा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किस्म बंजड आराजी नम्बर 2135 रकबा 4.05 बीघा, आराजी नम्बर 5701 रकबा 4.12 बीघा में से 2.00 बीघा, आराजी नम्बर 5707 रकबा 5.17 बीघा, आराजी नम्बर 5730 रकबा 2.17 बीघा में से 1.00 बीघा कुल किता 6 रकबा 29.15 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटन की गई। उक्त आवंटन आदेश से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध तरीके से प्रस्तावित भूमि आराजी नम्बर 5730/7393 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 7775/5730 रकबा 4 बिस्वा किस्म बारानी ।।। जो कि अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार की होकर उक्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि जमाबंदी संवत 2071 लगायत 2074 में अपीलार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। सन् 2009 में अपीलाण्ट ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की तभी से उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट आज तारीख तक माफिक नक्शा टेश के काबिज है। अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 5730/7393 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 7775/5730 रकबा 4 बिस्वा का पश्चिमी हिस्सा जो कि उत्तर से दक्षिण लगभग 350 फीट का है । मौके पर नक्शे के अनुसार अपीलाण्ट की भूमि व रास्ते बीच कोई सरकारी जमीन नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आराजी नम्बर 5730 में से एक बीघा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की है । उसे आराजी नम्बर 5730 के नक्शा ट्रेश में दर्शाना चाहिये था। जबकि अपीलाण्ट के खाते व कब्जेसुदा की उपरोक्त आराजी जो कि राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी है, में से उत्तर से दक्षिण लगभग 280 फीट उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम लगभग 45 फीट भू भाग जो रकबा लगभग 0.11 हेक्टेयर (9 बिस्वा) है को पंचायत को आवंटित भूमि में दर्शाया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की उक्त भूमि का यह भाग भी आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क ग्राम पंचायत बागोर को नक्शे में आवंटित होना दर्शा दिया हैं उस सीमा तक अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

6. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 5730/7393 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 7775/5730 रकबा 4 बिस्वा का पश्चिमी हिस्सा जो कि उत्तर से दक्षिण लगभग 350

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

फीट का है में से लगभग 280 फीट लम्बाई के भाग को नक्शे में दर्शा कर ग्राम पंचायत बागोर के नाम पर आबादी में दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 10.5.2011 को पारित किया गया है परन्तु उक्त आदेश की पालना में राजस्व नक्शे में आज तक यह इन्द्राज नहीं किया गया है।

7. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी नम्बर 5730/7393 के एवं रास्ते के मध्य नक्शे में कुछ भू भाग को दर्शाया गया है जबकि मौके पर आराजी नम्बर 5730/7393 से सटती हुई पक्की सडक बनी हुई है जो मौके पर दर्शाये गये रास्ते से चौडी पक्की सडक के रूप में है। वर्तमान में अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 5730/7393 एवं रास्ते के मध्य किसी प्रकार की भूमि रिक्त नहीं है।

8. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में संशोधन किया जाकर अपीलाण्ट की उपरोक्त आराजी नम्बर 5730/7393 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 7775/5730 रकबा 4 बिस्वा का पश्चिमी हिस्सा जो कि उत्तर से दक्षिण लगभग 350 फीट का है में से लगभग 280 फीट लम्बाई के भू भाग में भूमि जो आवंटन आदेश के प्रस्तावित नक्शे में दर्शा दी गई है वह भूमि आवंटन के नक्शे में विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे अन्यथा अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी।

9. प्रत्यर्थी संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रस्ताव अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत बागोर द्वारा ग्राम बागोर स्थित भूमि आबादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विस्तार हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार माण्डल की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी माण्डल के प्रस्ताव के अनुसार सरंपच ग्राम पंचायत बागोर द्वारा ग्रम बागोर स्थित भूमि आबादी विस्तार हेतु निवेदन करने से तहसीलदार माण्डल की जांच रिपोर्ट के अनुसार बागोर स्थित आराजी नम्बर 2124 रकबा 16.00 बीघा में से 10.00 बीघा, आराजी नम्बर 2132 रकबा 6.13 बीघा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किस्म बंजड आराजी नम्बर 2135 रकबा 4.05 बीघा, आराजी नम्बर 5701 रकबा 4.12 बीघा में से 2. 00 बीघा, आराजी नम्बर 5707 रकबा 5.17 बीघा, आराजी नम्बर 5730 रकबा 2.17 बीघा में से 1.00 बीघा कुल किता 6 रकबा 29.15 बीघा भूमि ग्राम पंचायत बागोर के आबादी विस्तार हेतु प्रस्तावित कर अभिशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव एवं अभिशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम बागोर आराजी नम्बर 2124 रकबा 16.00 बीघा में से 10.00 बीघा, आराजी नम्बर 2132 रकबा 6.13 बीघा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किस्म बंजड आराजी नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2135 रकबा 4.05 बीघा, आराजी नम्बर 5701 रकबा 4.12 बीघा में से 2.00 बीघा, आराजी नम्बर 5707 रकबा 5.17 बीघा, आराजी नम्बर 5730 रकबा 2.17 बीघा में से 1.00 बीघा कुल किता 6 रकबा 29.15 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटन अपीलाधीन आदेश द्वारा की गई है। इस सबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तावित नक्शे एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेश जो कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.4.2018 को जारी किया गया है उसका अवलोकन एवं मिलान किया गया । नक्शा ट्रेश एवं प्रस्तावित नक्शा के अवलोकन से यह पूर्णतया साबित होता है कि आराजी नम्बर 5730/7393 के पश्चिम की तरफ रास्ता नक्शे में दर्शाया गया है। अपीलाण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 5730/7393 एवं रास्ते के मध्य किसी प्रकार की भूमि शेष नहीं है । वर्तमान में अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 5730/7393 के पश्चिम में पक्की सडक बनी हुई है जो मौके पर नक्शे में दर्शायी गई रास्ते की भूमि से ज्यादा होकर अपीलाण्ट की भूमि से सटती हुई बनाई गई है।

13. आराजी नम्बर 5730/7393 का नक्शा जो कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.4.2018 को जारी किया गया है अपीलार्थी की आराजी है एवं जिसका रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2071 से 2074 प्रमाणित है। उसको आराजी नम्बर 5730/7393 के प्रस्तावित नक्शा जो कि अनुशंषा के साथ उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था मिलान करने से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित होता है कि आराजी नम्बर 5730/7393 को जो अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी है में से पश्चिमी भू भाग उत्तर से दक्षिण जो कि रास्ते से सटती हुई भूमि है को लाल स्याही से हेचिंग

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करते हुए ग्राम पंचायत बागोर को आबादी विस्तार हेतु अन्य आराजियात के साथ निःशुल्क आवटन की गई है। जबकि मूल आराजी नम्बर 5730 तो 5730/7393 के उतरी भाग मे ही स्थित है। व उससे अलग है। यद्यपि वर्तमान राजस्व नक्शे में इस आवंटित भूमि का इन्द्राज नहीं किया गया है। परन्तु उक्त दोनों नक्शों के मिलान से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आराजी नम्बर 5730/7393 को जो अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी है में से पश्चिमी भू भाग उत्तर से दक्षिण जो कि मौके पर रास्ते से सटती हुई भूमि है को भी अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एवं न ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किये ग्राम पंचायत बागोर को आवंटित अनुसार तरमीम कर दी गई है।

14. अधीनस्थ न्यायालय ने जो आराजी नम्बर 5730 में से एक बीघा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की है । उसे आराजी नम्बर 5730 के नक्शा ट्रेश में दर्शाना चाहिये था। ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संलग्न नक्शे के अनुसार अपीलाण्ट के खाते व कब्जेसुदा की आराजी नम्बर 5730/7393 जो कि राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी है, में से यह पंचायत को आवंटित भूमि में दर्शाया गया है।

15. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.5.2011 में आंशिक संशोधन किया जाकर अपीलाण्ट के खाते व कब्जेसुदा की आराजी नम्बर 5730/7393 जो कि राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी है,मे से उतर से दक्षिण भू भाग जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रस्तावित नक्शे में दर्शाया गया है को कम करने एवं पूर्वानुसार नक्शे में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

16. निर्णय आज दिनांक 18.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

18/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा